सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 555 राँची, सोमवार, 23 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

13 जून**, 2016** (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

3 जून, 2016

विषयः- झारखण्ड राज्य की राजभाट/ब्रह्मभाट (ब्रह्मभट) जाति को भाट (हिन्दू) के साथ झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-II) के क्रमांक-36 पर समावेशित करने के संबंध में ।

संख्या-14/जाति-03-08/2012 का० 4675 --झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में अत्यंत पिछड़ें वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि ''झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-36 पर अंकित भाट (हिन्दु) के साथ ''राजभाट/ब्रहमभाट (ब्रहमभट) को समावेशित किया जाय'' के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-II) में निम्नरूपेन परिवर्द्धन की जाय;
परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार हैः-

क्रमांक-36: भाट, राजभाट/ब्रहमभाट (ब्रहमभट) (हिन्दू)

आदेशः आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-2 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 555—50 ।